

निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 199/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)  
मेन्टोर होम सोन्स इण्डिया लि। (पूर्व में मेन्टोर इण्डिया लि।) पता प्रधान कार्यालय मेन्टोर हाऊस,  
गोविन्द मार्ग, सेठी कालोनी, जयपुर ।


प्राथी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री हरीशंकर शर्मा पुत्र श्री लालाराम शर्मा
2. श्री लालाराम शर्मा पुत्र श्री बंशीधर शर्मा
3. श्रीमती इन्द्रा देवी पति श्री लालाराम शर्मा  
निवासी:-प्लॉट नम्बर 248, देवकी नगर, ग्राम विजयपुरा, आगरा रोड, जिला जयपुर।
4. श्री अजय धानका पुत्र श्री सीताराम धानका  
निवासी:-प्लॉट नम्बर 43, राजनगर, कागोता, जिला जयपुर।

अप्राथीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002.

उपस्थित:-श्री सूरज शर्मा अधिवक्ता प्राथी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 18.01.2021


1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्राथी वित्तीय संस्था ने अप्राथी ऋणी को दिनांक 12.10.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्राथी श्री लालाराम शर्मा पुत्र श्री बंशीधर शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 248, देवकी नगर, ग्राम विजयपुरा, आगरा रोड, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 60 वर्गगज को बन्धक रख कर 5,90,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्राथी ऋणी द्वारा प्राथी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्राथी ऋणी को दिनांक 17.10.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मग भुगतान नहीं करने पर प्राथी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002, की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की अनुरोध की है।
2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। न्याय हित में अप्राथीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्राथीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का मलीमाति अवलोकन किया गया।

लक्ष्मी  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 को क्रम संख्या 21 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 5,90,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय व्याज कुल 8,49,026/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 17.10.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था को बंधक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र रवीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री लालाराम शर्मा पुत्र श्री वंशीधर शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 248, देवकी नगर, ग्राम विजयपुरा, आगरा रोड, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 60 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त जयपुर को भेज कर लिखा जाये की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



8. आदेश आज दिनांक 18.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
 18/1/21  
 (अन्तर सिंह नेहरा)  
 जिला मजिस्ट्रेट  
 (कलक्टर) जयपुर